<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील/एल.आर./3310/2004/चित्तौड़गढ़</u>

नारायण पुत्र हेमा जाति डांगी निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– चतरू पुत्र खूमा जाति डांगी निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

.....प्रत्यर्थी

<u>एकल–पीठ</u>
श्री राकेश कुमार जायसवाल, सदस्य

<u>उपस्थित :</u>
श्री जे.के. पुरोहित, अधिवकता अपीलार्थी।
श्री ईश्वर देवड़ा अधिवक्ता प्रत्यर्थी।
श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय प्रत्यर्थी।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– 12 जुलाई, 2018

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 144/2003 में पारित निर्णय दिनांक 17–6–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी नारायण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रत्यर्थी

चतरू को ग्राम बोराखेड़ी की आराजी खसरा नंबर 7 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत किया गया। जिला कलक्टर, चितौड़गढ़ ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30–9–2003 द्वारा प्रत्यर्थी चतरू को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रत्यर्थी चतरू ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष पुनरावेदन पेश किया जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 17–6–2004 द्वारा पुनरावेदन स्वीकार कर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 30–9–2003 निरस्त किया तथा आवंटी को किया गया आवंटन दिनांक 13–02–1992 यथावत रखा। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–6–2004 से व्यथित होकर अपीलार्थी नारायण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलार्थी के खातेदारी की भमि के पास स्थित है, जिस पर उसका कब्जा अपने बाप–दादाओं के समय से लगातार चला आ रहा है एवं यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट से भी प्रमाणित है जिसके अनुसार कभी भी प्रत्यर्थी का भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर द्वारा किये गये आंवटन को निरस्त करने का आदेश उचित होते हुए भी अधीनस्थ न्यायायलय ने अपील अपीलांट स्वीकार करने का निर्णय पारित किया है, जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह माना गया है कि आंवट्ति भूमि की खातेदारी दिये जाने के पश्चात् आवंटन निरस्त करना न्यायोचित नहीं है जबकि राजस्थान कृषि अधिनियम की धारा 63 में अलग अलग खातेदारी समाप्त होने का प्रावधान बताया गया है ऐसा संशोशन करते हुए आवंटन आदेश की खातेदारी मिलने के बाद भी आवंटन निरस्त करने

का प्रावधान जोड़ा गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि एक बार खातेदारी दिये जाने के बाद कार्यवाही नहीं की जा सकती, पूर्णतया गलत एवं विधि विरूद्ध तथ्य है क्योंकि अवैधानिक आवंटन आदेश को निरस्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे तथा जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर प्रत्यर्थी को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 13–02–92 निरस्त फरमाया जावे।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी को सन् 1992 में जो आवंटन किया गया है, वह उसके विवादित भूमि पर अतिक्रमण होने के आधार पर किया गया है। विपक्षी ने अपना पैसा लगाकर भूमि को उपजाऊ बनाया है जिस पर आज भी उसका कब्जा है। जिला कलक्टर ने प्रकरण का गहराई से अवलोकन किये बिना उसका भूमि पर कब्जा नहीं माना है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे पूर्णतया विवेचन करते हुए यह पाया है कि अपीलार्थी नारायण यदि भूमि पर काबिज भी है तो वह अतिक्रमी के रूप में है जो आंवटन निरस्तीकरण का आधार नहीं हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिसमें अपील के जरिये हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

6– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रत्यर्थी चतरू को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत् ग्राम बोराखेड़ी की भूमि खसरा नंबर 7 क्षेत्रफल 2 बीघा 11 बिस्वा का दिनांक 13–02–1992 को आवंटन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ ने निर्णय दिनांक 30–9–2003 के द्वारा इस आधार पर

खारिज कर दिया कि वर्तमान में भूमि पर नारायण पुत्र हेमा डांगी का कब्जा होकर गन्ने की फसल खड़ी है तथा प्रत्यर्थी का कब्जा नहीं है।

8– न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17–6–2004 से प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरावेदन को स्वीकार करते हुए जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 30–9–2003 निरस्त कर दिया एवं प्रत्यर्थी/आवंटी को किया गया आवंटन दिनांक 13–02–1992 यथावत रखा गया।

9– बहस के दौरान प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा 1995 आर.बी. जे. 789 (HC), 1986 आर.बी.जे. 412, 2006 आर.बी.जे. 216 व 2007 आर.एल.डब्ल्यू. (2) 1295 प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि आवंटन के उपरान्त खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। आर.बी.जे. 1995 (2) 780 में निम्नानुसार सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

RAJASTHAN LAND REVENUE (ALLOTMENT OF LAND FOR AGRICULTURAL PURPOSES) RULES, 1957 AND 1970-RULE 14(4) AFTER CONFERMENT OF KHATEDARI RIGHTS, ALLOTMENT CANNOT BE CANCELLED.

10– अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि 2016 आर.आर.टी. (1) 358 के अनुसार प्रार्थी /अपीलार्थी को अपील पेश करने का लोकस नहीं है। 2002 आर.एल.डब्ल्यू (2) पेज 1000 (HC) प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि आवंटित भूमि पर यदि किसी का कब्जा है तो वह अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा माना जावेगा जो कि आवंटन निरस्त करने का अधिकार नहीं हो सकता और इसे वैधानिक कब्जा नहीं माना जा सकता।

11– अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस में यह कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पर आवंटी/प्रत्यर्थी का कब्जा नहीं था। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में जन प्रतिनिधि की उपस्थिति नहीं है। आवंटन बाबत्

उद्घोषणा जारी नहीं की गई है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने यह मानकर कि आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, अतः धारा 14(4) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं एवं इस आधार पर जिला कलक्टर के आदेश को खारिज किया है। इसके बाबत् 1998 आर.आर.डी. पेज 589 पेश की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63 में उपधारा 9 नोटिफिकेशन दिनांक 26-03-97 से जोड़ी गयी है , जिसके अनुसार अब खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी आवंटन खारिज किया जा सकता है तथा आवंटन खारिज होने के उपरान्त जो खातेदारी अधिकार अर्जित किये गये हैं, वे भी स्वतः समाप्त हो जावेंगे।

12- इसके प्रत्युत्तर में बहस के दौरान प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा धारा 14(4) के तहत् जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उसमें उद्घोषणा जारी नहीं करने की दलील नहीं उठायी गयी है तथा वर्तमान अपील में भी यह तर्क नहीं किया है तथा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है कि उद्घोषणा जारी नहीं की गई है। जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में भी इस बिन्दु पर विचार नहीं किया गया है।

13- प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि नामांतरकरण संख्या 490 दिनांक 02-01-92 गैरखातेदारी के रूप में अंकित हुआ तथा दिनांक 22-12-2001 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अपीलार्थी नियमित वाद दायर करने का अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

14- न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने निर्णय में यह अंकित है कि प्रत्यर्थी/आवंटी को वर्ष 1992 में भूमि आवंटित की गयी थी तथा वर्ष 2001 में खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके थे। अपीलार्थी नारायण द्वारा वर्ष 2003 में आवंटन को निरस्त कराने का आवेदन किया है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने निर्णय में अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क को

स्वीकार नहीं किया है कि आवंटन सलाहकार समिति की बेठक में जन–प्रतिनिधि की उपस्थिति नहीं होने से आवंटन प्रभाव शून्य है। आवंटन समिति की सिफारिश दिनांक 13–02–1992 में सरपंच के स्थान पर प्रशासक ग्राम पंचायत बड़ोली श्री माधोसिंह के हस्ताक्षर हैं, जो सरपंच के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने यह भी अंकित किया है कि आवंटी ग्राम बोराखेड़ी का निवासी नहीं होकर संगरिया का निवासी है, के बाबत् तथा आवंटन समिति के समक्ष भी विद्यमान था। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपीलार्थी/प्रार्थी के इस कथन को भी स्वीकार नहीं किया है कि इस आराजी के बाबत् अन्य प्रार्थी भी थे, लेकिन दिनांक 13–02–1992 को अन्य कोई प्रार्थना पत्र पेश किये गये हों, ऐसी कोई साक्ष्य अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा पेश नहीं की गयी है तथा जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 07–8–2003 के आधार पर आवंटी का भूमि पर कब्जा नहीं मानकर आवंटन निरस्त किया है, जिसे उचित नहीं ठहराया है, क्योंकि आवंटी को खातेदारी अधिकार मिल चुके हैं तथा यह निष्कर्ष व्यक्त किया है कि यदि अपीलार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा भी हो तो भी यह अतिक्रमी के रूप में है, जो आवंटन निरस्तीकरण का आधार नहीं बन सकती है।

15– अपीलार्थी का अपील मीमों के बिन्दु संख्या–7 में यह कथन है कि विवादित भूमि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि के पास स्थित है, जिस पर उसका कब्जा बाप–दादाओं के समय से चला आ रहा है परन्तु रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी का वर्ष 1992 में भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन की कब्जे काश्त संबंधी शर्तो की पालना के आधार पर वर्ष 2001 में खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये। वर्ष 1992 में आवंटन के 11 वर्षो के उपरान्त जिला कलक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) पेश किया है । अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार्य योग्य नहीं है कि कि उक्त आवंटन बाबत् कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई। उनके द्वारा धारा 14(4) क प्रार्थना पत्र तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष पुनरावेदन से यह दलील नहीं उठाई गई। इस प्रकार साक्ष्य के अभाव में यह नहीं

माना जावेगा कि उद्घोषणा जारी की गई तथा अपीलार्थी द्वारा इस भूमि के आवंटन/नियमतीकरण बाबत् कोई आवेदन पेश नहीं किया। आवंटन नियम 1970 के नियम 20 में यह प्रावधान है कि यदि किसी भूमि पर अतिक्रमी काबिज है तो नियमतीकरण के प्रार्थना पत्र को खारिज कर आवंटन किया जा सकता है तथा ऐसी भूमि un-occupied land मानी जाकर आवंटन योग्य होगी। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा इस बाबत् 1987 आर.आर.डी. पेज 54, 2001 आर.आर.टी. पेज 195 (HC) न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है, जो कि वर्तमान प्रकरण पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं।

16– अतः उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–6–2004 विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार क हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

17– परिणामतः अपील खारिज की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–6–2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
सदस्य